



दशक की नई अधासूचनाएं

बैंकों को दिनिक 29 अक्टूबर 1999 को गवर्नर द्वारा घोषित "वर्ष 1999-2000 के लाए मौद्रिकि और ऋण नीतिकी मध्यावधि सिमीक्षा" पर वक्तव्य के संदर्भ में न्यूनतम नरिधारति प्रतिशित को लागू करने में परचालनगत समस्याओं का संदर्भ दिया गया है, जिसमें बैंकों को पीएलआर के संदर्भ में बनी बलियों की छूट पर ब्याज दर प्रभारति करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब यह अपेक्षा की जाती है कबिंक पूर्व-नरिधारति चुकौती तारीखों को ध्यान में रखते हुए बलि छूट सुवधि पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दर प्रदान कर सकेंगे और कॉर्पोरेटों को उनकी ऋण बक्किरी/ऋण खरीद प्राप्त करने/भुगतान करने के लाए बलि मार्ग के लाए जाने के लाए प्रेरति किया जाएगा, ताकि इन्हें प्राप्त होने की संभावना वाले लागत लाभ को ध्यान में रखा जा सके। बैंकों ने देश में बलियों की संस्कृति के विकास में अधिकतम समर्थन देने की अपनी प्रतिविद्धता पर जोर दिया।

तदनुसार, अनुदेशों के मैनुअल (डीबीओडी, डीबीएस और आईईसीडी) के पैरा 13.बी.1.1 के उप अनुच्छेद 1.2(ii) को हटा दिया जाए।